10/5/18

प्रकरण पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी मय उपस्थित। विशिष्ट लोक अभियोजक [illegible] उपस्थित है। [illegible] [illegible] [illegible] गई किन्तु कोई भी [illegible] नहीं होने से [illegible] कार्यवाही की जाती है। अभिभाषक प्रार्थी मय [illegible]

[illegible] अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री चेतन कुमार त्रिपाठी R.A.S.

प्रकरण संख्या 771/ 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्री गोपाल पुत्र उदा लाल गुर्जर निवासी खेड़ी रघु

— प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

श्री प्रभु पुत्र हीरा गुर्जर निवासी खेड़ी रघु

— विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री प्रभुलाल रैगर अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय — दिनांक 10/9/18

~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण के ग्राम खेड़ी रघु तहसील शाहपुरा/ .... जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 276 रकबा 0.06 है, 471 रकबा 0.28 है, 483 रकबा 0.48 है, 487 रकबा 0.49 है, 488 रकबा 0.87 है कुल किता 5 रकबा 2.11 हैक्टयर का ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण ~~खातेदार~~/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण पड़ोसी है। ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण एवं ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम खेड़ी रघु संवत 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण ~~खातेदार~~/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेड़ी रघु ने स्थित ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण की उपरोक्त ~~खातेदारी~~/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 5 रकबा 2.11 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ .... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। ..पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 400/- रुपये कायम किये जाते है जो ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ .... मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/9/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चेतन कुमार त्रिपाठी)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः—तहसीलदार, शाहपुरा/ .... पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner